



## **MOU BETWEEN (Only for ARC Centers)**

**Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council**

**And**

**College/Institute/Consultancy ..... (Second Party)**

### **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Date: .....

The Memorandum of Understanding Between (“MOU”) is entered into on the ..... (“Effective”) by and between Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, having its Head Office 2<sup>nd</sup> Floor Sunil Complex WK Road Near RG Degree College Meerut, Uttar Pradesh -250002 (hereinafter referred to as “LBSPSTC” or **First Party**) and ..... **Institute** having its corporate office/Head Office/College Address (hereinafter referred to as **Second Party**).

WHEREAS, the LBSPSTC is a Semi Government Body and a national level council for Paramedical education, under department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development of India responsible for proper planning and coordinated development of Paramedical Skill and Training **EDUCATION IN INDIA**.

NOW THIS MOU aims to capture the understanding reached between **LBSPSTC** and .....regarding each other’s roles and responsibilities.

#### **1) UNDERSTANDING**

Both the parties under this MOU have agreed to collaborate with each other as follows by providing students of colleges/institutions approved by LBSPSTC with ..... for corporate career readiness:

##### **Commitment from LBSPSTC**

- a) LBSPSTC to support ..... in increasing awareness & adoption of the admission “Paramedical (Supporting Staff) Skills” Training programs by effective communications to the Director of ARC Center.
- b) That the LBSPSTC shall give complete information related to courses, duration, cost, other charges, facilities, student services and academic information and other information useful for the purpose of counseling to the second party and update the second party from time to time.
- c) That the LBSPSTC shall extend all possible cooperation to the Second Party. LBSPSTC will give 20% of the First yearly Total fee per student who joined College (Second Party).
- d) **If the second party provides any cooperation in the process of recognition of any School/College/Institution, and the concerned school gets recognized by the first party, then the second party will be get Rs 1000/- annually per student for life time by the first party.**

## **General Terms and Conditions FOR CENTERS**

1. That Second Party shall accept all payment from the students in the form of Demand Draft/Cheque/Cash in favor of Council Name only.
2. Facilities provided by the LBSPSTC and on the basis of the same shall identify eligible students and recommend the programs of LBSPSTC to the students.
3. That in case there is a requirement for promotional material, Second Party shall approach LBSPSTC for the same, however the Second Party shall not reproduce the advertising material in any condition.
4. That the Second Party shall not promise or take admission of not eligible students. The eligibility is clearly mentioned in the information in the information Brochure.
5. That it is the sole discretion of LBSPSTC whether to grant admission or not, Second Party shall ensure that it only recommends the student for admission to the LBSPSTC.
6. That Second Party shall ensure that no false promises or wrong information is provided to the prospective students.
7. That Second Party shall work as separate legal entity and liabilities of Second Party such as PF, ESI or expenses such as Travel allowance, stay allowance or expenses borne on marketing, promotions shall be the sole responsibility of Second Party, unless approved by the LBSPSTC.
8. That the Second Party shall take up enquiries/counseling only for regular mode on campus programs.
9. That the Second Party shall ensure that all approvals over and above this MOU are in the form of written approvals from the LBSPSTC Verbal approvals will not be considered by the LBSPSTC.
10. That both parties shall keep the information of the students and this MOU confidential.
11. That the Second Party fails to pay to LBSPSTC or not pick up the phone of First Party or any other problem related with payment then LBSPSTC can encash the postdated cheque (given by the LBSPSTC at the time of MOU).
12. That First & Second Party representative signing this MOU shall provide the following information.

### ✓ **Standard for all categories**

PAN No. (Self), Address Proof (Self), Photo ID (Self)

### ✓ **For Proprietor ship Firms**

- a) Copy of Lease Deed
- b) Same as given in standard for all categories

### ✓ **For Private/Public Limited Companies**

- a) Memorandum of Association and Article of Association
- b) PAN No
- c) Authorization from the co. to sign this MOU
- d) Authorized Signatory requirements as given in Standard for all categories.

### ✓ **For Partnership/Proprietorship companies**

- a) Authorization to sign this MOU
- b) PAN, Photo ID and Address proof of all Partners.

✓ **Duration of this MOU**

This agreement is valid for a period of 2 years from the date of signing of this agreement, and will automatically expire at the completion of two years from the date of signing of this agreement.

✓ **Termination**

LBSPSTC are free to terminate this agreement by giving one month notice to the other in written or via E-mail and by the way of completion of any payments/accounts due on each other.

**IN WITNESS WHEREOF** the parties here to, have hereunto set and subscribed their respective hands the day, month and year first hereinabove written.

For and On Behalf of First Party  
Seal and Signature

For and or Behalf of Second Party  
Seal and Signature

Name- .....  
Designation - .....  
Employee Code-.....  
Mobile No.-.....  
Date :-.....

**Name of the Director**

.....

**Admission Referral Center Name**

.....  
.....  
.....

**Mobile No.**.....

**Date:** .....

**Seal and Signature**



इस पत्र का हिन्दी संस्करण निम्न प्रष्ठों पर उपलब्ध है।



## सहमति पत्र

# लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद एवं

..... संस्थान

समझौता ज्ञापन

तिथि: .....

आज दिनांक ..... को लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिसका प्रधान कार्यालय (दूसरी मंजिल सुनील कॉम्प्लेक्स डब्ल्यूके रोड आरजी डिग्री कॉलेज के पास मेरठ उत्तर प्रदेश –250002) है, (इसके बाद इसे "काउंसिल" या प्रथम पक्ष के रूप में जाना जाएगा) और संस्थान ..... का अपना कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय/कॉलेज पता..... (इसके बाद इसे द्वितीय पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के बीच समझौता ज्ञापन ("एमओयू") पर हस्ताक्षरित किया गया है।

वहीं, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद एक अर्ध सरकारी निकाय और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत पैरामेडिकल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है, जो भारत में पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण शिक्षा की उचित योजना और समन्वित विकास के लिए कार्य करती है। जो जनमानस के कल्याण के लिए व राष्ट्रीय हित में पैरामेडिकल के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य काउंसिल और ..... के बीच एक-दूसरे की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में बनी समझ को हासिल करना है।

### अनुबंध संख्या प्रथम:

उभयपक्षों ने छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हुए छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के निमित्त कर्तव्यों के अनुपालन एवं निम्नांकित शर्तों एवं नियमों को अंगीकार करने के लिए स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क से सहमति जताई है।

### काउंसिल द्वारा द्वितीय पक्ष के लिए प्रतिबद्धता

अ) काउंसिल एआरसी सेंटर के निदेशक एवं उसके अधीन प्रबंध तंत्र को समय समय पर भारत सरकार एवं मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के प्रतिपादित दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुपालन हेतु "पैरामेडिकल (सहायक स्टाफ) कौशल" प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपनाने में सहायता प्रदान करेगा व सूचित करेगा।

ब) प्रथम पक्ष (काउंसिल) दूसरे पक्ष को पाठ्यक्रम, अवधि, लागत, अन्य शुल्क, सुविधाएं, छात्र सेवाओं और शैक्षणिक जानकारी और परामर्श के उद्देश्य से उपयोगी अन्य जानकारी से संबंधित पूरी जानकारी देगा और समय-समय पर दूसरे पक्ष को अपडेट करेगा।

स) काउंसिल की ओर से एआरसी सेंटर को प्रत्येक प्रकार की सहायता विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु जिन वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होगी उनकी सूचना देगा तथा एआरसी सेंटर को विद्यार्थी से प्राप्त की जाने वाली राशि से 20% कटौती करके शेष राशि काउंसिल में जमा करनी होगी।

द) द्वितीय पक्ष द्वारा अगर किसी महाविद्यालय की मान्यता की कार्यवाही में कोई सहयोग प्रदान कराता है, प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित महाविद्यालय को मान्यता मिल जाती है, तो द्वितीय पक्ष को आजीवन प्रति छात्र के अनुसार 1000/- रुपए वार्षिक प्रथम पक्ष द्वारा देय होगा।

## केन्द्रों के लिए सामान्य नियम एवं शर्तें:-

- 1- विद्यार्थियों से प्राप्त धनराशि चेक डीडी अथवा सीधे बैंक खाते से आर०टी० जी० एस० व अन्य तरीके से स्वयं प्राप्त करके अथवा सीधे काउंसिल के खाते में जमा कराने के बाद ही छात्र का प्रवेश अंतिम समझा जाएगा।
- 2- परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और उसी के आधार पर योग्य छात्रों की पहचान करेगी और छात्रों को परिषद के कार्यक्रमों की सिफारिश करेगी।
- 3- यदि प्रचार सामग्री की आवश्यकता है, तो दूसरा पक्ष इसके लिए परिषद से संपर्क करेगा, हालांकि दूसरा पक्ष किसी भी हालत में विज्ञापन सामग्री का पुनरुत्पादन नहीं करेगा।
- 4- यह कि दूसरा पक्ष अयोग्य छात्रों को प्रवेश देने का वादा नहीं करेगा या प्रवेश नहीं लेगा। सूचना विवरणिका में दी गई जानकारी में पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
- 5- यह परिषद का एकमात्र विवेक है कि प्रवेश देना है या नहीं, दूसरा पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वह केवल छात्र को परिषद में प्रवेश के लिए सिफारिश करे।
- 6- वह दूसरा पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि भावी छात्रों को कोई झूठा वादा या गलत जानकारी प्रदान न की जाए।
- 7- वह दूसरा पक्ष सलाहकार इकाई के रूप में काम करेगा और दूसरे पक्ष की देनदारियां जैसे कि पीएफ, ईएसआई या यात्रा भत्ता, रहने का भत्ता या विपणन पर वहन किए गए खर्च, पदोन्नति दूसरे पक्ष की एकमात्र जिम्मेदारी होगी, जब तक कि परिषद द्वारा अनुमोदित न हो।
- 8- कि दूसरा पक्ष केवल कैंपस कार्यक्रमों पर नियमित मोड के लिए पूछताछ/परामर्श करेगा।
- 9- दूसरा पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि इस एमओयू के अलावा सभी स्वीकृतियां परिषद से लिखित अनुमोदन के रूप में हों, मौखिक अनुमोदन पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- 10- कि दोनों पक्ष छात्रों की जानकारी और इस एमओयू को गोपनीय रखेंगे।
- 11- यदि दूसरी पार्टी परिषद को भुगतान करने में विफल रहती है या पहली पार्टी का फोन नहीं उठाती है या भुगतान से संबंधित कोई अन्य समस्या है तो परिषद पोस्टडेटेड चेक (एमओयू के समय परिषद द्वारा दिया गया) को भुना सकती है।
- 12- इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले पहले और दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी।

### ● सभी श्रेणियों के लिए मानक

पैन नंबर (स्वयं), पता प्रमाण (स्वयं), फोटो आईडी (स्वयं)

### ● स्वामित्व फर्मों के लिए

क) लीज डीड की प्रति

बी) सभी श्रेणियों के लिए दिए गए समान मानक

### ● निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए

ए) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन

ब) पैन नंबर

ग) कंपनी से प्राधिकरण। इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए

घ) सभी श्रेणियों के लिए मानक में दी गई अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आवश्यकताएँ।

### ● इस एमओयू की अवधि

यह समझौता इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए वैध है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो साल पूरे होने पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।

### ● समापन

एलबीएसपीएसटीसी एक दूसरे को लिखित या ई-मेल के माध्यम से एक महीने का नोटिस देकर और एक-दूसरे पर देय किसी भी भुगतान/खाते को पूरा करने के

माध्यम से इस समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

- इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने यहां ऊपर लिखे पहले दिन, महीने और वर्ष को अपने हाथों से निर्धारित और हस्ताक्षरित किया है।

- For and On Behalf of First Party
- Seal and Signature

For and or Behalf of Second Party  
Seal and Signature

- Name- .....
- Designation - .....
- Employee Code-.....
- Mobile No.-.....
- Date :-.....

**Name of the Director**

.....

**Admission Referral Center Name**

.....  
.....  
.....  
.....

**Mobile No.....**

**Date: .....**

**Seal and Signature**



**पता:** द्वितीय तल सुनील कॉम्प्लेक्स नियर आर. जी. डिग्री कॉलेज मेरठा  
**मो. : 6005692505/8057728847**

